

**कार्यालय,  
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
राजपुर प्रदेस लखनऊ।**

संख्या: प्राथम/परिषद/सम्बद्धता/2020/197

लखनऊ: दिनांक: 15-8-2020

:- कार्यालय त्वाप:-

राष्ट्रीय भारतीय स्कूलों की शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्यकारी कार्यालय ऑफ इन्डियन न्यू दिल्ली द्वारा संश्लेषित सत्र 2020-21 हेतु विदेशीय स्कूलों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद 10000 संख्यांक से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संभल हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवंटित नई संख्याओं की सम्बद्धता/पूर्व से संश्लेषित संख्याओं की सम्बद्धता विस्तार/संश्लेषण/जोड़ संख्या बुद्धि सहित अन्य गरी पर विचार कराते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किने जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मर-13 में विस्तार इन इच्छी पर्यवेक्षण संश्लेषित करने वाली पूर्ण से सम्बद्ध संख्याओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा महल विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

परिषद से पूर्व से सम्बद्ध गिरी क्षेत्र की संख्या निर्णय सत्र 2020-21 में एजवाइंसीटीआईईए द्वारा संश्लेष में संश्लेषित कार्यलय पर्यवेक्षणों की प्रवेश संख्या में करी की गयी है, जो सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान करने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से सत्र 2020-21 हेतु एजवाइंसीटीआईईए द्वारा प्रस्ताव अनुमोदन के अनुसार परिषद से सम्बद्धता प्रदान किने जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-08-2020 को आरुत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिखे गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संख्या की प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ संख्यांक द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों को अधीन पर्यवेक्षण एवं उनमें अतिरिक्त प्रवेश संख्या हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संख्या संकेत	संख्या का नाम	पर्यवेक्षण का नाम	एजवाइंसीटीआईईए/ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश संख्या	एजवाइंसीटीआईईए/ परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश संख्या
1	1184	राम प्रतिभ संश्लेषित, जेजिब 77 किमी नुसरतपुर रोड, विहार-अकरासी पोखरा, पटौली, नुसरतपुर।	विश्वेश इन्डो इन्डियन इन्डो इन्डियन इन्डो इन्डियन इन्डो इन्डियन इन्डो इन्डियन इन्डो	80 80 80 80 80 80	80 80 80 80 80 80

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संख्या एजवाइंसीटीआईईए/पिनीआईईए द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करनी।
- ✓ संख्या संश्लेष प्रदेस प्राथमिक शिक्षा परिषद एक 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमशाही 1982 सेनेटर विनियमशाही-2018 तथा अन्य निर्मित विषयों एवं आवेदों का अनुपालन करनी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इच्छी पर्यवेक्षणों हेतु रु० 22,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्यकारी पर्यवेक्षण हेतु रु० 48,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पर्यवेक्षणों (दो वर्षीय कार्यकारी पर्यवेक्षण के अतिरिक्त) हेतु रु० 22,400.00 प्रतिवर्ष शुल्क की प्रत्येक प्रवेश/प्रवेश से प्राप्त किया जावेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर महल द्वारा निर्णय किने जाने वाले संश्लेषित प्रवादी क्षेत्रों और उपरान्त कार्यकारी किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की स्थितिगत एवं लागू होगी।
- ✓ संख्या को 10000 प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा उभ समितियों संख्याओं को सम्बद्ध किया जाना विनियमशाही-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संख्या में संश्लेष प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों के ही प्रवेश किया जावेगा। शीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उक्त प्रवेश सारण के निर्धारणानुसार ही प्रवेश की कार्यकारी की जावेगी।

- ✓ संस्था को संस्था-संस्था पर निर्भर सहायतादेय के अनुसंधान विनिर्देश एवं सम्बद्धता सुनिश्चित करना होगा।
- ✓ संस्था को एम्प्लॉयीज्मेंट/रिजिस्ट्रार से अपनी सभ हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था द्वारा प्रेषित सार्वजनिक प्रयोग करने वाले विधि/विज्ञान/प्रविधिकी/सांख्यिकी/निर्देशों एवं विनिर्देश, प्रविधिकी विज्ञान, उद्योग, संयुक्त प्रेषण परीक्षा परिषद, उद्योग तथा प्रविधिकी विज्ञान परिषद, उद्योग द्वारा बनाने वाले विचारों, विनिर्देशों, आवेदनों, निर्देशों का पालन करने के लिये कार्य करेगी।
- ✓ विनिर्देश एवं भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत निर्देशों से अनुमोदन प्राप्त करने में आवश्यक प्रतीति है जो इस संस्था में अपनाया जाकर प्रविधिकी विज्ञान का होगा और विनिर्देश का जो किसी भी कार्यकारी के लिए संस्था को बनाना पड़ेगी। प्रविधिकी विज्ञान परिषद, संयुक्त प्रेषण परीक्षा परिषद, प्रविधिकी विज्ञान विदेशीय एवं प्रविधिकी विज्ञान विभाग भारत प्रेषण सार्वजनिक प्रयोग करने वाले कार्य का पालन किया जाता है तथा भारत सरकार के संस्था में या, पर्यावरण द्वारा किसी प्रकार की प्रविधिकी संबंधी आवेदन निर्देश किया जाता है तो संस्था प्रविधिकी संबंधित संस्था को करेगी होगी।
- ✓ विनिर्देश एवं भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत निर्देशों से अनुमोदन प्राप्त करने में आवश्यक प्रतीति है जो इस संस्था में अपनाया जाकर प्रविधिकी विज्ञान का होगा और विनिर्देश का जो किसी भी कार्यकारी के लिए संस्था को बनाना पड़ेगी। प्रविधिकी विज्ञान परिषद, संयुक्त प्रेषण परीक्षा परिषद, प्रविधिकी विज्ञान विदेशीय एवं प्रविधिकी विज्ञान विभाग भारत प्रेषण सार्वजनिक प्रयोग करने वाले कार्य का पालन किया जाता है तथा भारत सरकार के संस्था में या, पर्यावरण द्वारा किसी प्रकार की प्रविधिकी संबंधी आवेदन निर्देश किया जाता है तो संस्था प्रविधिकी संबंधित संस्था को करेगी होगी।
- ✓ उद्योग प्रेषण संस्थाएं द्वारा प्रेषण हेतु निर्देश प्रविधिकी विज्ञान विभागों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपनी वेबसाइट पर संस्था की संस्था सुनिश्चित करने संस्था की ऐतिहासिक प्रविधिकी, उद्योग, उद्योग-उद्योग, उद्योग, उद्योग किया जाने वाला सुनिश्चित, उद्योग, उद्योग सुनिश्चित आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को विज्ञान-प्रविधिकी हेतु अनुसंधान सहायता उपलब्ध बनाने के साथ वैश्व स्तर पर संस्था में संस्था आवश्यक सुनिश्चित करेगी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि संस्था में प्रविधिकी/उद्योग पर्यावरण को बनाने वाले हेतु विनिर्देश प्रविधिकी के संस्था उपलब्ध बनाने पर प्रविधिकी, मुनि-उद्योग, प्रविधिकी, उद्योग द्वारा प्रविधिकी का करि संस्था द्वारा किसी अन्य पर्यावरण के संस्था में प्रेषण किया जाता है और प्रविधिकी को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपलब्ध का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए करना नहीं है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता संस्था किये जाने की अनुमति को करेगी।
- ✓ सम्बद्धता सार्वजनिक अनुपालन न किये जाने अन्य सार्वजनिक अनुपालन किये जाने की प्रविधिकी में नियमानुसार अनुपालन आवश्यक कार्यकारी को करेगी।

(मानेद सुपर कमीशियन)  
सचिव/पूर्व सचिव

तारीख: 12-09-2020

पुस्तक- प्रविधिकी/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-2141

प्रविधिकी-उद्योग/निर्देश, उद्योग सचिव प्रविधिकी, संस्था 17 प्रविधिकी सुपरकमिशन संस्था, विज्ञान-उद्योग/संस्था, संस्था, सुपरकमिशन।

(मानेद सुपर कमीशियन)  
सचिव/पूर्व सचिव

**भारतीय  
प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद  
उत्तर प्रदेश सरकार**

संख्या- प्रतिष्ठित/पीएच/सम्बद्धता/2021/3537

तारीख:  
दिनांक:  
09/01/2021

**कार्यक्रम सूची:**

अधिस भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फर्मेरी कायमिअत अन्ध इण्डियन, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु विपरीत राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद, 3090 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/01/2021 को परिषद कार्यलय में सम्बद्धता समिति की बैठक संचालन हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवंटित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संबन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश समता वृद्धि सहित अन्य शर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद, 30 90 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु विस्तार/सम्बद्धता के अर्थात् पाठ्यक्रम एवं उसमें अतिरिक्त प्रवेश दायता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है-

संस्था का पता एवं जिन: 1184-BADHA GOVIND POLYTECHNIC COLLEGE, GOPALPUR,ARRAULLYAHASEIL-CHANDAUZI, NOMBABAD

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	सम्बद्धता/सम्बद्धता के अर्थात् पाठ्यक्रम द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश संख्या	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश संख्या
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	ELECTRONICS ENGINEERING	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
5	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60
6	MECHANICAL ENGINEERING (MAINTENANCE)	30	30

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था को 00आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद विनियमनामकी 1992, सेमेस्टर विनियमनामकी-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक फर्मेरी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक फर्मेरी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जावेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्मित किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की न्यूनतम दर लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (3090 प्रतिष्ठित शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किये जायें) विनियमनामकी-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जावेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।

संस्था का नाम इस फॉर्म का पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि वे सी.आई. आई. दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं तो इस सूचना में समस्त प्रस्तावित संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को कोई वाद उत्पन्न किया जाता है तथा वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को कानी होगी।

- ✓ दिल्ली का फॉर्म पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कंडिजनिंग प्राप्त होने के पूर्व पीपीटीआई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कंडिजनिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आदेशन नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, वास्तु किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-अध्यापन हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैमिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलावे जाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कार्याय वे अतिरिक्त, भूमि-अवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ संस्था के स्थानीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था ने भूमि, अवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा पीपीटीआई/पीपीटीआई/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता धर्ती का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुधासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार  
सोमवार)

सचिव

दिनांक:

09/08/2021

पुस्तक- प्राविधिक परिषद सम्बद्धता/2021/2638-4899

प्रतिलिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक/RADHA GOVIND POLYTECHNIC COLLEGE, GORALPUR AKHRAULI, TAHASEEL-CHANDAUSI, MORADABAD

(सुनील कुमार  
सोमवार)

सचिव

## कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लखनऊ दिनांक: 30/08/2022

संख्या:- प्राशिध/परिषद सम्बद्धता/2022/7817

:कार्यालय ज्ञापः:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मोसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 10/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1184-RADHA GOVIND POLYTECHNIC COLLEGE

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	ELECTRONICS ENGINEERING	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (MAINTENANCE)	30	30
5	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
6	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60

## सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2018 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मोसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मोसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और

- तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। जीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु जीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो जीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
  - ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता बुल्क जमा करना होगा।
  - ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बन्दे गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
  - ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
  - ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
  - ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
  - ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
  - ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वतावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
  - ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम की वलाये जमे हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
  - ✓ संस्था के औद्यक स्तरीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
  - ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(एफ०आर० खान)

सचिव

दिनांक: 30/08/2022

पृष्ठसं०- प्राशिय/परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455

प्रतिरिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, RADHA GOVIND POLYTECHNIC COLLEGE



(एफ०आर० खान)

सचिव